

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ)बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 01/04/2026

क्रमांक रीडर/2026/5238

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

अमर फारूख 2 अब्दुल कादर 3 अब्दुल नसीब खान पिसरान हासमखां 4 अभिर्यो पत्नि हासमखां 5 आसूखां पुत्र सोनाखां 6 इसाकखां पुत्र गनीखां 7 इंदुल मुबारक पुत्र हासमखां 8 खुदाबक्सखां पुत्र भूराखां 9 गफूरखां पुत्र गनीखां 10 गाजीखां पुत्र फनीखां 11 चादखां पुत्र हुसैनखां 12 जेती पत्नि फनीखां 13 जानूखां पुत्र मानेखां 14 तैयबखां 15 बरगतखां 16 मुरीदखां 17 मुस्ताकखां 18 मांगीखा पिसरान हुसैनखां 19 मोहम्मदखां पुत्र सोनाखां 20 रमजानखां पुत्र फनीखां 21 रसूलखां पुत्र हासमखां 22 शेरखां पुत्र फनीखां 23 सकूरखां पुत्र हुसैनखां 24 सफीखां पुत्र गनीखां 25 सालमखां पुत्र मानेखां 26 हाजीखां पुत्र सोनाखां जाति तेली मुसलमान निवासी सरणू पनजी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 इब्राहीमखां पुत्र बाबूखां 2 जुसबखां पुत्र जेठेखां 3 बरगतखां पुत्र बाबूखां 4 मांगी पत्नि बाबूखां 5 रमजानखां पुत्र जेठेखां 6 सुभानखां पुत्र बाबूखां जातियान तेली मुसलमान 7 कलाराम पुत्र डाउराम 8 खेताराम पुत्र मुकनाराम 9 जेठाराम पुत्र हेमाराम 10 देवाराम पुत्र जोगाराम 11 रतनाराम 12 वागाराम पिसरान डाउराम 13 हेराजराम पुत्र किरताराम 14 उमाराम 15 केसराम 16 खेराजराम पिसरान वेहनाराम 17 चुतराराम 18 जालाराम पिसरान गेनाराम 19 पूराराम पुत्र वेहनाराम 20 पोकरराम 21 भूराराम पिसरान गेनाराम 22 मलाराम पुत्र वेहनाराम जातियान जाट 23 कमला पत्नि कासमुखान 24 जवरीबानों पुत्री कासम 25 तारूखां 26 मागूखां पिसरान अलीखां 27 मोहम्मदखां 28 रेशमखां पिसरान तालब 29 रसूलखां पुत्र रमजानखान 30 रोशनखां पुत्र तालब 31 सफीखां पुत्र अलीखां 32 हनीफा पत्नि रमजानखां 33 हबीबखां 34 इस्मत पुत्री कासम 35 हासम पुत्र अजीम जातियान मुसलमान निवासी सरणू पनजी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 36 मदरसा मदीनतुलउलूम (शिक्षण संस्थान) सरणू पनजी 37 सरपंच ग्राम पंचायत सरणू पनजी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-501/2025

दिनांक- 27/03/2026

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सरणूपनजी पटवार हल्का सरणू तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 210 रकबा 0.0486 हैक्टेयर व खसरा संख्या 484/211 रकबा 11.4040 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 01/04/2026

क्रमांक :- रीडर/2026/5239-5241

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणू तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण अमर फारूख जाति तेली मुसलमान निवासी सरणू पनजी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण इब्राहीमखां पुत्र बाबूखां जाति तेली मुसलमान निवासी सरणू पनजी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर